432

संख्या–1629 /XXVIII-4/2015-84(9)/2013

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 19 फरवरी, 2016

विषय – वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय चिकित्सालयों के प्रयोगार्थ उपकरणों का कय किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/5/2015–16/28804, दिनांक 05.12.2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति–110–अस्पताल तथा औषधालय–आयोजनागत–03–एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय की मानक मद–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में **प्रथम अनुपूरक** के माध्यम से प्राविधानित कुल ₹ 1000.00 लाख (**₹ दस करोड़ मात्र**) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के प्राविधानों तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच, भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी (बजट मैंनुअल) का अनुपालन किया जायेगा।

4. धनराशि के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते हुए मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः–2

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल,2015 एवं शासनादेश संख्या–1336/ XXVII(1)/2015, दिनांक 17 नवम्बर,2015 में निहित प्राविधानों/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.3.2016 तक कर लिया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति–110–अस्पताल तथा औषधालय–आयोजनागत 03–एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय की मानक मद–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–372(P)/XXVII(3)/2015-16, दिनांक 17.02.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: **Allotment of ID**

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1629 (1)/XXVIII-4/2015-84(9)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त–1/नियोजन विभाग/एस0आई0सी0।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव